

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **राठ** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-250/2016 धारा- 363,366,376 भा0द0सं0 व 04 पॉक्सो एक्ट** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र रूपनाथ निवासी ग्राम बन्धौली थाना डकोर जनपद जालौन को दोष सिद्ध करते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी अवधनरेश सिंह चन्देल



विवेचक-निरी0 अवनेन्द्र सिंह



पैरोकार- थाना राठ का0 प्रदीप भार्गव